रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894
No. 105] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April 1972

G.S.R. 233(E)/Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government, in addition to the quantity already fixed for export, hereby fixes 3,000 tonnes (Three thousand tonnes) of sugar as the quantity which may be exported during the period commencing on the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending with the 21st day of December, 1972.

[No. 10-1/72-S-EXP.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 233(अ) शर्करा निर्यात—शर्करा निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पहिले नियत की गई निर्यात मात्रा के अतिरिक्त, एतद्द्वारा 3,000 मीटरी टन (तीन

हजार मीटरी टन) शर्करा को उस मात्रा के रूप में नियत करती है जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को आरम्भ होने वाली और 31-12-1972 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान निर्यात की जा सकती है ।

[सं० 10-1/72-एस०ई०एक्स० पी०]

एस० वी० सम्पथ,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972